



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 65]  
No. 65]नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 21, 2006/फाल्गुन 2, 1927  
NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 21, 2006/PHALGUNA 2, 1927

## विदेश मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 फरवरी, 2006

सा.का.नि. 74(अ).—केन्द्रीय सरकार, विश्व मामलों से संबंधित भारतीय परिषद् अधिनियम, 2001 (2001 का 29) की धारा 25 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विश्व मामलों से संबंधित भारतीय परिषद् नियम, 2006 है।

(2) ये भारत के राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषा—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “अधिनियम” से विश्व मामलों से संबंधित भारतीय परिषद् अधिनियम, 2001 (2001 का 29) अभिप्रेत है;

(ख) “प्ररूप” से इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप अभिप्रेत है;

(ग) “धारा” से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;

(घ) उन शब्दों और पदों के, जो इनमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में क्रमशः उनके हैं।

3. सदस्यों में रिक्तियों को भरने की रीति.—(1) किसी सदस्य की पदावधि की समाप्ति से कारित रिक्ति को भरने के लिए धारा 7 के अधीन नामनिर्देशन ऐसे सदस्य की पदावधि की समाप्ति से पहले ही किया जाएगा।

(2) महानिदेशक, सदस्य की पदावधि की समाप्ति के चार माह पूर्व, रिक्ति को भरने के लिए कार्रवाई करेगा और ऐसी रिक्ति को भरने के लिए किसी सदस्य को नामनिर्दिष्ट करने के लिए धारा 7 की उप-धारा (2) के—

(क) खंड (घ) के अधीन सदस्य के नामनिर्दिष्ट किए जाने की दशा में, यथास्थिति, लोक सभा अध्यक्ष या राज्य सभा के सभापति को;

(ख) खंड (ड.) या खंड (च) के अधीन सदस्य के नामनिर्दिष्ट किए जाने की दशा में, परिषद् को;

(ग) खंड (छ) या खंड (ज) के अधीन सदस्य के नामनिर्दिष्ट किए जाने की दशा में, शासी निकाय को;

(घ) खंड (ज) के अधीन सदस्य के नामनिर्दिष्ट किए जाने की दशा में, केंद्रीय सरकार को, अनुरोध करेगा।

3. किसी सदस्य के पद में आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए नामनिर्देशन ऐसी रिक्ति के होने की तारीख के पश्चात् यथासंभव शीघ्र किया जाएगा।

4. परिषद् के कृत्य.—धारा 16 में विनिर्दिष्ट कृत्यों के अतिरिक्त, परिषद् के निम्नलिखित कृत्य होंगे, अर्थात् :—

(क) परिषद् की नीति से संबंधित विषयों पर विचार करना और उन्हें तय करना; और

(ख) शासी निकाय द्वारा यथाप्रस्तावित परिषद् के कार्यक्रमों और विनिर्दिष्ट परियोजनाओं पर विचार करना और उनका अनुमोदन करना।

5. अध्यक्ष की शक्तियाँ.—अध्यक्ष के, अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए निम्नलिखित शक्तियाँ और कृत्य होंगे, अर्थात् :—

- (क) परिषद् और शासी निकाय की बैठकों की अध्यक्षता करना ;  
 (ख) परिषद् के प्रशासन से संबंधित मामलों में उच्चतम प्राधिकारी होना ;  
 (ग) भारत में और भारत के बाहर परिषद् का प्रतिनिधित्व करने के लिए सदस्य का नामनिर्देशन करना ;  
 (घ) परिषद् के कार्यकरण से टकराने वाले नीतिगत विषयों पर परिषद् और शासी निकाय को सलाह देना और मार्गदर्शित करना ; और  
 (ङ.) यथास्थिति, उपाध्यक्ष या महानिदेशक को अपनी ऐसी शक्तियों और कृत्यों को प्रत्यायोजित करना जिन्हें वे ठीक समझे।

6. सदस्यों के भत्ते.—(1) धारा 7 की उप-धारा (2) के खंड (ख) और खंड (घ) से खंड (ज) के अधीन आने वाले सदस्य भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के समय-समय पर यथासंशोधित कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ. 6 (26)-ई. IV/59 तारीख 5 सितम्बर, 1960 के अनुसार भत्तों के हकदार होंगे।

(2) ऐसा व्यक्ति जो, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन स्थापित या गठित कानूनी प्राधिकरण के अधीन कोई पद धारण कर रहा है और धारा 7 की उप-धारा (2) के अधीन सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट किया गया है, वही भत्ते प्राप्त करेगा जो तत्समय प्रवृत्त सुसंगत नियमों या विनियमों के अनुसार उसके पद को अनुज्ञेय हैं।

7. लेखाओं का वार्षिक विवरण.—(1) परिषद् उचित लेखे और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगी और प्ररूप 'क' में तुलनपत्र सहित लेखाओं का वार्षिक विवरण तैयार करेगी।

(ख) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट लेखाओं का वार्षिक विवरण महानिदेशक द्वारा हस्ताक्षरित और प्राधिकृत किया जाएगा।

8. वार्षिक रिपोर्ट.—परिषद् हर वर्ष एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगी जिसमें प्ररूप 'ख' में पूर्व वर्ष के दौरान अपने क्रियाकलापों का सही और पूरा लेखा जोखा दिया जाएगा तथा ऐसी वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियाँ आगामी वित्तीय वर्ष के सितम्बर मास के अंत से पूर्व केन्द्रीय सरकार को भेजेगी।

9. अवशिष्ट उपबंध.—यदि इन नियमों को कार्यान्वित करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो वह मामला केन्द्रीय सरकार को उसके स्पष्टीकरण के लिए भेजा जाएगा और ऐसे स्पष्टीकरण के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

[सं. एफ (ii) 12/(51) 2002]

के.पी. अर्नेस्ट, अपर सचिव

प्ररूप क

[नियम 7(1) देखिए]

वित्तीय विवरण (विश्व मामलों से संबंधित भारतीय परिषद्) का प्ररूप

सत्ता का नाम .....

..... को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा

(रकम ..... रुपए में)

	अनुसूची	चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
(1)	(2)	(3)	(4)
आय			
विक्रय/सेवाओं से आय	12	.....	.....
अनुदान/साहायिकियाँ	13	.....	.....
फीस/अभिदान	14	.....	.....
निवेश से आय (निश्चित विन्यास से निवेश पर आय/निधियों को अंतरित की गई निधियाँ)	15	.....	.....
स्वामित्व, प्रकाशन इत्यादि से आय	16	.....	.....
उपाजित ब्याज	17	.....	.....
अन्य आय	18	.....	.....
तैयार माल और चालू काम के स्टॉक में वृद्धि/कमी	19	.....	.....
योग (क)		.....	.....

(1)	(2)	(3)	(4)
व्यय			
स्थापन व्यय	20	.....	.....
अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	21	.....	.....
अनुदानों/साहायिकियों आदि पर व्यय	22	.....	.....
ब्याज	23	.....	.....
अवक्षयण (वर्ष की समाप्ति पर कुल योग—अनुसूची 8 का तत्स्थानी)			
<b>योग (ख)</b>		.....	.....
व्यय से अधिक आय होने पर अतिशेष (क-ख)		.....	.....
विशेष आरक्षित को अन्तरण (प्रत्येक को विनिर्दिष्ट करें)		.....	.....
साधारण आरक्षित से/को अन्तरण		.....	.....
समग्र/पूँजी निधि में अग्रणीत किए गए अधिशेष (कमी) होने पर अतिशेष		.....	.....
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	24	.....	.....
समाश्रित दायित्व और लेखाओं पर टिप्पण	25	.....	.....

सत्ता का नाम .....

..... को तुलन पत्र की भाग रूप अनुसूची

(रकम ..... रुपए में)

	चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
अनुसूची-1 समग्र/पूँजीनिधि :	.....	.....
वर्ष के प्रारम्भ पर अतिशेष	.....	.....
जोड़ें : समग्र/पूँजी निधि में अभिदान :		
जोड़ें (घटाएं) : आय और व्यय लेखा से अंतरित शुद्ध आय (व्यय) का अतिशेष	.....	.....
वर्ष की समाप्ति पर अतिशेष	.....	.....

**अनुसूची-2 आरक्षितियां और अधिशेष****1. पूँजी आरक्षित :**

अंतिम लेखा के अनुसार	.....	.....
वर्ष के दौरान वृद्धि	.....	.....
घटाएं—वर्ष के दौरान कटौतियां	(.....)	(.....)
<b>2. पुनर्मुल्यांकन आरक्षित :</b>	.....	.....
अंतिम लेखा के अनुसार	.....	.....
वर्ष के दौरान वृद्धि	(.....)	(.....)
घटाएं—वर्ष के दौरान कटौतियां	.....	.....

	चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
<b>3. विशेष आरक्षित :</b>		
अंतिम लेखा के अनुसार	.....	.....
वर्ष के दौरान वृद्धि	.....	.....
घटाएँ वर्ष के दौरान कटौतियाँ	(.....)	(.....)
<b>4. साधारण आरक्षित :</b>		
अंतिम लेखा के अनुसार	.....	.....
वर्ष के दौरान वृद्धि	.....	.....
घटाएँ—वर्ष के दौरान कटौतियाँ	(.....)	(.....)
<b>योग</b>	.....	.....

वित्तीय विवरण का प्ररूप

..... को तुलनपत्र की भाग रूप अनुसूची

(रकम ..... रुपए में)

अनुसूची-3 निश्चित और विन्यास निधियाँ	निधिवार विधटन				कुल योग	
	निधि	निधि	निधि	निधि	चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
(क) निधियों का प्रारम्भिक अतिशेष	.....	.....	.....	.....	.....	.....
(ख) निधियों में वृद्धि						
i. दान/अनुदान	.....	.....	.....	.....	.....	.....
ii. निधियों के मद्दे गए निवेश से आय	.....	.....	.....	.....	.....	.....
iii. अन्य वृद्धियाँ (प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)	.....	.....	.....	.....	.....	.....
<b>योग (क + ख)</b>	.....	.....	.....	.....	.....	.....
ग. निधियों के उद्देश्य हेतु उपयोग/व्यय						
i. पूंजी व्यय						
— नियत आस्तियाँ	.....	.....	.....	.....	.....	.....
— अन्य	.....	.....	.....	.....	.....	.....
<b>योग</b>	.....	.....	.....	.....	.....	.....
ii. राजस्व व्यय						
— वेतन, मजदूरी और भत्ते, आदि	.....	.....	.....	.....	.....	.....
— किराया	.....	.....	.....	.....	.....	.....
— अन्य प्रशासनिक व्यय	.....	.....	.....	.....	.....	.....
<b>योग</b>	.....	.....	.....	.....	.....	.....
<b>योग (ग)</b>	.....	.....	.....	.....	.....	.....
वर्ष की समाप्ति पर शुद्ध अतिशेष (क + ख + ग)	.....	.....	.....	.....	.....	.....

टिप्पण :

(1) अनुदानों से संबद्ध शर्तों पर आधारित सुसंगत शीर्षों के अधीन प्रकटीकरण किए जाएंगे।

(2) केन्द्रीय/राज्य सरकारों से प्राप्त योजना निधियों को पृथक निधियों के रूप में दर्शित की जानी हैं और उन्हें किन्हीं अन्य निधियों के साथ मिलाया नहीं जाना है।

वित्तीय विवरण का प्ररूप  
को तुलन पत्र की भाग रूप अनुसूची

(रकम ..... रूपए में)

योग	चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
<b>अनुसूची-4 प्रतिभूत ऋण और उधार :</b>		
1. केन्द्रीय सरकार	.....	.....
2. राज्य सरकार (विनिर्दिष्ट करें)	.....	.....
3. वित्तीय संस्थाएं	.....	.....
(क) सावधिक ऋण	.....	.....
(ख) प्रोद्भूत और देय ब्याज	.....	.....
4. बैंक	.....	.....
(क) सावधिक ऋण	.....	.....
— प्रोद्भूत और देय ब्याज	.....	.....
(ख) अन्य ऋण (विनिर्दिष्ट करें)	.....	.....
— प्रोद्भूत और देय ब्याज	.....	.....
5. अन्य संस्थाएं और अभिकरण	.....	.....
6. डिबेंचर और बंधपत्र	.....	.....
7. अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	.....	.....
<b>योग</b>	.....	.....

टिप्पण : एक वर्ष के भीतर देय रकम

(रकम ..... रूपए में)

	चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
<b>अनुसूची-5 अप्रतिभूत ऋण और उधार :</b>		
1. केन्द्रीय सरकार	.....	.....
2. राज्य सरकार (विनिर्दिष्ट करें)	.....	.....
3. वित्तीय संस्थाएं	.....	.....
4. बैंक	.....	.....
(क) सावधिक ऋण	.....	.....
(ख) अन्य ऋण (विनिर्दिष्ट करें)	.....	.....
5. अन्य संस्थाएं और अभिकरण	.....	.....
6. डिबेंचर और बंधपत्र	.....	.....
7. सावधि जमा	.....	.....
8. अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	.....	.....
<b>योग</b>	.....	.....

टिप्पण : एक वर्ष के भीतर देय रकम

वित्तीय विवरण का प्ररूप  
..... को तुलन पत्र की भाग रूप अनुसूची

(रकम ..... रुपए)

अनुसूची-6 आस्थगित प्रत्यय दायित्व :	चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
(क) पूंजी उपस्कर और अन्य आस्तियों के आडमान द्वारा प्रतिभूत स्वीकृतियां	.....	.....
(ख) अन्य	.....	.....
योग	.....	.....

टिप्पण : एक वर्ष के भीतर देय रकम

अनुसूची-7 चालू दायित्व और उपबंध :	चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
-----------------------------------	-----------	-----------------

## क. चालू दायित्व

- |   |       |       |
|---|-------|-------|
| 1. स्वीकृत विपन्न                                   |       |       |
| 2. विविध लेनदार                                     | ..... | ..... |
| (क) माल के लिए                                      | ..... | ..... |
| (ख) अन्य  | ..... | ..... |
| 3. प्राप्त किए गए अग्रिम                            | ..... | ..... |
| 4. प्रोद्भूत ब्याज किन्तु जो निम्न पर देय नहीं है : |       |       |
| (क) प्रतिभूत ऋण/उधार                                | ..... | ..... |
| (ख) अप्रतिभूत ऋण/उधार                               | ..... | ..... |
| 5. कानूनी दायित्व :                                 |       |       |
| (क) अतिशोध्य  | ..... | ..... |
| (ख) अन्य  | ..... | ..... |
| 6. अन्य चालू दायित्व                                | ..... | ..... |

## योग (क)

## ख. उपबंध

- |                            |       |       |
|----------------------------|-------|-------|
| 1. करधान के लिए            | ..... | ..... |
| 2. उपदान                   | ..... | ..... |
| 3. अधिवार्षिकी/पेंशन       | ..... | ..... |
| 4. संचित छुट्टी भुगतान     | ..... | ..... |
| 5. व्यापार वारंटी/दावे     | ..... | ..... |
| 6. अन्य (विनिर्दिष्ट करें) | ..... | ..... |

## योग (ख)

## योग (क+ख)

## वित्तीय विवरण का प्ररूप

..... को तुलन पत्र की भाग रूप अनुसूची

(रकम.....रुपए)

अनुसूची 8- स्थिर आस्तियां	सकल ब्लाक				अवक्षयण				शुद्ध ब्लाक	
	वर्ष के प्रारंभ में लागत/ मूल्यांकन	वर्ष के दौरान वृद्धियां	वर्ष के दौरान कटौतियां	वर्ष के अन्त में लागत मूल्यांकन	वर्ष के प्रारंभ पर	वर्ष के दौरान वृद्धियों पर	वर्ष के दौरान कटौतियों पर	वर्ष के अंत तक योग	चालू वर्ष के अंत में	पूर्ववर्ती वर्ष के अंत में
(क) स्थिर आस्तियां										
1. भूमि :										
(क) पूर्ण स्वामित्व	—	—	(—)	—	—	—	—	—	—	—
(ख) पट्टाधृति	—	—	(—)	—	—	—	—	—	—	—
2. भवन										
(क) पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि पर	—	—	(—)	—	—	—	—	—	—	—
(ख) पट्टाधृति भूमि पर	—	—	(—)	—	—	—	—	—	—	—
(ग) स्वामित्व वाले फ्लैट/ परिसर	—	—	(—)	—	—	—	—	—	—	—
(घ) ऐसी भूमि पर अधिरचना जो सत्ता की नहीं है	—	—	(—)	—	—	—	—	—	—	—
3. संयंत्र मशीनरी और उपस्कर	—	—	(—)	—	—	—	—	—	—	—
4. यान	—	—	(—)	—	—	—	—	—	—	—
5. फर्नीचर, फिक्सचर	—	—	(—)	—	—	—	—	—	—	—
6. कार्यालय उपस्कर	—	—	(—)	—	—	—	—	—	—	—
7. कंप्यूटर/पेरीफरल्स	—	—	(—)	—	—	—	—	—	—	—
8. विद्युत स्थापन	—	—	(—)	—	—	—	—	—	—	—
9. पुस्तकालय पुस्तक	—	—	(—)	—	—	—	—	—	—	—
10. ट्यूबवैल और जल प्रदाय	—	—	(—)	—	—	—	—	—	—	—
11. अन्य स्थिर आस्तियां	—	—	(—)	—	—	—	—	—	—	—
चालू वर्ष का योग	—	—	(—)	—	—	—	—	—	—	—
पूर्ववर्ती वर्ष	—	—	(—)	—	—	—	—	—	—	—
ख. कार्यरत पूंजी										
योग										

(ऊपर सम्मिलित अवक्रय पर आधारित आस्तियों की लागत के बारे में टिप्पण दिया जाएगा)

(रकम.....रुपए)

अनुसूची 9-निश्चित/विन्यास निधियों से निवेश	चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
1. सरकारी प्रतिभूतियों में	—	—
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	—	—
3. शेयर	—	—
4. डिबेंचर और बंधपत्र	—	—
5. समनुबंधी और संयुक्त उद्यम	—	—
6. अन्य (विनिर्दिष्ट किया जाए)	—	—
योग	—	—

## वित्तीय विवरण का प्ररूप

..... को तुलन पत्र की भाग रूप अनुसूची

(रकम ..... रुपए)

अनुसूची 10-निवेश-अन्य	चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
1. सरकारी प्रतिभूतियों में	—	—
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	—	—
3. शेयर	—	—
4. डिबेंचर और बंधपत्र	—	—
5. समनुषंगी और संयुक्त उद्यम	—	—
6. अन्य (विनिर्दिष्ट किया जाए)	—	—
<b>योग</b>	—	—
अनुसूची 11-चालू आस्तियां, ऋण, अग्रिम आदि	चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
<b>क. चालू आस्तियां :</b>		
1. तालिकाएं		
(क) भंडार और फालतू	—	—
(ख) खुले उपकरण	—	—
(ग) व्यापार स्टॉक		
तैयार माल	—	—
चालू माल	—	—
कच्ची सामग्री	—	—
2. विविध ऋणी		
(क) छह मास से अधिक की अवधि के लिए परादेय ऋण	—	—
(ख) अन्य	—	—
3. हाथ नकदी अतिशेष (चैक/ड्राफ्ट और अग्रदाय सहित)	—	—
4. बैंक अतिशेष		
(क) अनुसूचित बैंकों के		
— चालू खाते में	—	—
— निक्षेप खाते में (मार्जिन धन सहित)	—	—
— बचत खाते में	—	—
(ख) गैर अनुसूचित बैंकों में :		
— चालू खाते में	—	—
— निक्षेप खाते में (मार्जिन धन सहित)	—	—
— बचत खाते में	—	—
5. डाकघर बचत खाता	—	—
<b>योग (क)</b>	—	—

वित्तीय विवरण का प्ररूप  
..... को तुलन पत्र की भाग रूप अनुसूची

(रकम.....रुपए)

अनुसूची 11-चालू आस्तियां, ऋण, अग्रिम आदि	चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
(ख) ऋण, अग्रिम और अन्य आस्तियां		
1. ऋण		
(क) कर्मचारिवृंद	—	—
(ख) इस सत्ता के तुल्य क्रियाकलापों/उद्देश्यों में कार्यरत अन्य सत्ता	—	—
(ग) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	—	—
2. अग्रिम और नकद या वस्तुरूप में प्राप्त किए जाने वाले मूल्य के लिए वसूली योग्य रकम		
(क) पूंजी लेखा पर	—	—
(ख) पूर्व संदाय	—	—
(ग) अन्य	—	—
3. प्रोद्भूत आय :		
(क) निश्चित/विन्यास निधियों से निवेश पर	—	—
(ख) निवेशों पर ———— अन्य	—	—
(ग) ऋणों और अग्रिमों पर	—	—
(घ) अन्य	—	—
(अप्राप्त शोध्य आय ———— रुपए सहित)	—	—
4. प्राप्त दावे		
योग (ख)	—	—
योग (क+ख)	—	—

(रकम .....रुपए)

	चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
अनुसूची 12—बिक्री/सेवाओं से आय		
(1) बिक्री से आय :		
(क) तैयार माल की बिक्री	.....	.....
(ख) कच्ची सामग्री की बिक्री	.....	.....
(ग) स्क्रैप की बिक्री	.....	.....
(2) सेवाओं से आय :		
(क) श्रम और प्रसंस्करण प्रभार	.....	.....
(ख) वृत्तिक/परामर्शी सेवक	.....	.....
(ग) अभिकरण कमीशन और दलाली	.....	.....
(घ) अनुरक्षण सेवाएं (उपस्कर/सम्पत्ति)	.....	.....
(ङ) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	.....	.....
योग	.....	.....

अनुसूची 13—अनुदान/साहायिकियाँ	चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
(प्राप्त की गई अप्रतिसंहरणी अनुदान/अभिदान)		
(1) केन्द्रीय सरकार	.....	.....
(2) राज्य सरकार	.....	.....
(3) सरकारी अधिकरण	.....	.....
(4) संस्थाएं/कल्याण निकाय	.....	.....
(5) अन्तरराष्ट्रीय संगठन	.....	.....
(6) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	.....	.....
<b>योग</b>	.....	.....

**वित्तीय विवरण का प्ररूप अलाभकारी संगठन**

सत्ता का नाम .....

.....को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए आय और व्यय की भाग रूप अनुसूची

(रकम .....रुपए)

अनुसूची 14—फीस/अभिदान	चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
(1) प्रवेश फीस	.....	.....
(2) वार्षिक फीस/अभिदान	.....	.....
(3) सेमिनार/कार्यक्रम फीस	.....	.....
(4) परामर्श फीस	.....	.....
(5) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	.....	.....
<b>योग</b>	.....	.....

**टिप्पण :** प्रत्येक मद के विषय में लेखा पालिसियों का प्रकट न किया जाना है।

अनुसूची 15—निवेश से आय	निश्चित निधि से निवेश		निवेश अन्य	
	चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष	चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
(निधियों को आन्तरित निश्चित/विन्यास निधियों से निवेश पर आय)				
(1) ब्याज				
(क) सरकारी प्रतिभूतियों पर	.....	.....	.....	.....
(ख) अन्य बंधपत्रों/डिबेंचरों पर	.....	.....	.....	.....
(2) लाभांश				
(क) शेयरों पर	.....	.....	.....	.....
(ख) म्यूचुअल फंड प्रतिभूतियों पर	.....	.....	.....	.....
(3) किराया	.....	.....	.....	.....
(4) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	.....	.....	.....	.....
<b>योग</b>	.....	.....	.....	.....
निश्चित/विन्यास निधियों से आन्तरित	.....	.....		

अनुसूची 16—स्वामिस्व, प्रकाशन आदि से आय	चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
(1) स्वामिस्व से आय	.....	.....
(2) प्रकाशनों से आय	.....	.....
(3) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	.....	.....
<b>योग</b>	.....	.....

अनुसूची 17—उपार्जित ब्याज	चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
(निधियों को आन्तरित उद्दिष्ट/बन्दोबस्ती निधियों से निवेश पर आय)		
(1) सावधिक जमा :		
(क) अनुसूचित बैंकों में	.....	.....
(ख) अननुसूचित बैंकों में	.....	.....
(ग) संस्थाओं में	.....	.....
(घ) अन्य	.....	.....

## वित्तीय विवरण का प्ररूप

.....को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए आय और व्यय की भाग रूप अनुसूची

अनुसूची 17—उपार्जित ब्याज—जारी	चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
(2) बचत खातों पर :		
(क) अनुसूचित बैंकों में	.....	.....
(ख) अननुसूचित बैंकों में	.....	.....
(ग) डाकघर बचत खाते	.....	.....
(घ) अन्य	.....	.....
(3) ऋणों पर :		
(क) कर्मचारी/कर्मचारीवृन्द	.....	.....
(ख) अन्य	.....	.....
(4) ऋणियों और अन्य प्राप्यों पर ब्याज :		
<b>योग</b>	.....	.....

टिप्पण : स्रोत पर काटे गए कर को उपदर्शित किया जाना है।

अनुसूची 18—अन्य आय	चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
(1) आस्तियों के विक्रय/व्ययन पर लाभ		
(क) स्वामित्व वाली आस्तियां	.....	.....
(ख) अनुदान से अर्जित या बिना लागत के प्राप्त आस्तियां	.....	.....
(2) निर्यात प्रोत्साहनों से प्राप्त	.....	.....
(3) विविध सेवाओं के लिए शुल्क	.....	.....
(4) विविध आय	.....	.....
<b>कुल</b>	.....	.....

अनुसूची 19—तैयार माल और प्रक्रियाधीन माल के स्टॉक में वृद्धि :—	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
(क) अंतिम स्टॉक		
—तैयार माल	.....	.....
—प्रक्रियाधीन माल	.....	.....
(ख) घटाइए—आरंभिक स्टॉक		
—तैयार स्टॉक	( )	( )
—प्रक्रियाधीन माल	( )	( )

शुद्ध वृद्धि/(कमी) (क-ख)

अनुसूची 20—स्थापन व्यय	चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
(क) वेतन और मजदूरी	.....	.....
(ख) भत्ते और बोनस	.....	.....
(ग) भविष्य निधि में अभिदाय	.....	.....
(घ) अन्य निधियों में अभिदाय (विनिर्दिष्ट करें)	.....	.....
(ङ) कर्मचारीवृन्द कल्याण व्यय	.....	.....
(च) कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति और सेवांत सुविधाओं पर व्यय	.....	.....
(छ) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	.....	.....
<b>कुल</b>	.....	.....

अनुसूची 21—अन्य प्रशासनिक व्यय इत्यादि में	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
(क) क्रय	.....	.....
(ख) श्रम और प्रसंस्करण व्यय	.....	.....
(ग) दुलाई और परिवहन व्यय आन्तरिक	.....	.....

## वित्तीय विवरणी का प्ररूप (अलाभकारी संगठन)

सत्ता का नाम .....

..... अवधि/वर्ष के अन्त में आय और व्यय की भागरूप अनुसूची

अनुसूची 21—अन्य प्रशासनिक व्यय इत्यादि में (जारी)	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
(घ) विद्युत और शक्ति	.....	.....
(ङ) जल प्रभार	.....	.....
(च) बीमा	.....	.....
(छ) मरम्मत और रखरखाव	.....	.....
(ज) उत्पाद शुल्क	.....	.....
(झ) किराया, रेट्स और कर	.....	.....
(ञ) यान और चालन और अनुरक्षण	.....	.....
(ट) डाक, टेलीफोन और संचार प्रभार	.....	.....
(ठ) मुद्रण और स्टेशनरी	.....	.....
(ड) यात्रा और अभिवहन व्यय	.....	.....
(ढ) सेमिनार/कार्यशाला पर व्यय	.....	.....
(ण) अभिदान व्यय	.....	.....
(त) फीस पर व्यय	.....	.....
(थ) संपरीक्षकों का पारिश्रमिक	.....	.....
(द) आतिथ्य व्यय	.....	.....
(ध) वृत्तिक प्रभार	.....	.....
(न) डूबंत और शंकास्पद ऋण/अग्रिम के लिए उपबंध	.....	.....
(प) बट्टे-खाते में डाला गया अवसूली अतिशेष	.....	.....
(फ) पैकिंग प्रभार	.....	.....
(ब) दुलाई और अग्रेषण व्यय	.....	.....
(भ) वितरण व्यय	.....	.....
(म) विज्ञापन और प्रचार	.....	.....
(य) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	.....	.....
<b>कुल</b>	.....	.....

अनुसूची-22—अनुदान और साहायिकियों इत्यादि पर व्यय	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
(क) संस्थाओं/संगठनों को दिए गए अनुदान	.....	.....
(ख) संस्थाओं/संगठनों को दी गई साहायिकियां	.....	.....
<b>कुल</b>	.....	.....

टिप्पणः— सत्ता का नाम, अनुदान और साहायिकी की रकम सहित उनके क्रियाकलाप प्रकट किए जाने चाहिए।

अनुसूची-23—ब्याज	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
(क) सावधि ऋणों पर	.....	.....
(ख) अन्य ऋणों पर (बैंक प्रभारों सहित)	.....	.....
(ग) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	.....	.....
<b>कुल</b>	.....	.....

## वित्तीय विवरणी का प्ररूप (अलाभकारी संगठन)

सत्ता का नाम .....

..... समाप्त अवधि के लिए लेखाओं की भागरूप अनुसूचियां .....

अनुसूची -24—महत्वपूर्ण लेखा नीतियां (उद्धरणस्वरूप)

## 1. लेखा विधि परिपाटी

वित्तीय लेखा ऐतिहासिक लागत परिपाटी के आधार पर, जब तक अन्यथा कथन न किया जाए, लेखा विधि की प्रोद्भवन पद्धति पर तैयार किए जाएंगे।

## 2. तालिका मूल्यांकन

2.1 भंडार और पुर्जे (जिसमें मशीनरी के पुर्जे भी हैं) लागत पर मूल्यांकित किए जाएंगे।

2.2 कच्चा माल, अर्द्ध तैयार और तैयार माल निम्न लागत पर और शुद्ध वसूली मूल्य पर मूल्यांकित किए जाएंगे। लागत भारत और आसत लागत पर आधारित है। तैयार माल और अर्द्ध तैयार माल की लागत का अवधारण सामग्री, श्रम और संबंधित उपरि शीर्ष पर विचार करके किया जाता है।

## 3. निवेश

3.1 दीर्घ कालिक निवेश के रूप में वर्गीकृत निवेश लागत पर किए जाते हैं।

3.2 "चालू" के रूप में वर्गीकृत निवेश लागत पर और सही मूल्य पर किए जाते हैं। ऐसे निवेशों के मूल्य में कमी के लिए उपबंध ऐसे प्रत्येक निवेश के लिए व्यक्तिगत रूप से और न कि विश्व के आधार पर विचार करते हुए निकाली जाती है।

3.3 लागत में अर्जन व्यय जैसे दलाली अन्तरण स्टाम्प भी सम्मिलित है।

## 4. उत्पाद शुल्क

सत्ता द्वारा उत्पादित माल निर्यात के लिए माल से भिन्न की उत्पाद शुल्क के लिए दायित्व का हिसाब विनिर्माण के पूरा होने पर लगाया जाता है वर्ष के अंत में उत्पाद शुल्क योग्य विनिर्मित उपबंध किया जाता है।

## 5. नियत आस्तियां

5.1 नियत आस्तियों के अर्जन की लागत जिसमें आन्तरिक भाड़ा, शुल्क और कर तथा अर्जन से संबंधित और आनुषंगिक और प्रत्यक्ष कर सम्मिलित हैं, पर विवरण दिए जाएंगे। परियोजनाओं की बाबत जिनमें संनिर्माण, सम्मिलित है, संबंधित पूर्व प्रचालन व्यय (जिसमें इसके पूर्ण होने से पूर्व विनिर्दिष्ट परियोजना के लिए उधार पर ब्याज सम्मिलित है। पंजीकृत आस्तियों के मूल्य के भाग का प्ररूप।

5.2 गैर-धनीय अनुदान (समग्र निध से भिन्न) के द्वारा प्राप्त नियत आस्तियां, आरक्षित पूंजी के प्रत्यय में तत्स्थानी द्वारा बताई गई मूल्य पूंजीकृत की जाएगी।

## 6. अवक्षयण

6.1 अवक्षयण, आयकर अधिनियम, 1961 में विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार सीधी पंक्ति पद्धति पर उपबंधित किया जाता है। सिवाय नियत आस्तियों में अधिग्रहण, जो अपनी-अपनी आस्तियों में अवशिष्ट जीवन पर परिशोधित है के लिए दायित्व विदेशी मुद्रा में रूपांतरण के लेखा से उद्भूत सामंजस्य लागत पर अवक्षयण के।

## वित्तीय विवरण का प्ररूप (अलाभकारी संगठन)

सत्ता का नाम .....

..... को समाप्त अवधि/वर्ष की प्राप्तियां और संदाय

(रकम-रूपए)

प्राप्तियां	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष	संदाय	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
<b>I. आरंभिक अतिशेष</b>			<b>I व्यय</b>		
(क) हाथ नकदी	.....	.....	(क) स्थापन खर्चे	.....	.....
(ख) बैंक अतिशेष	.....	.....	(अनुसूची 20 से तत्स्थानी)	.....	.....
(i) चालू खातों में	.....	.....	(ख) प्रशासनिक खर्चे (अनुसूची 21 से तत्स्थानी )	.....	.....
(ii) जमा खातों में	.....	.....			
(iii) बचत खातों में	.....	.....			
<b>II. प्राप्त अनुदान</b>			<b>II. विभिन्न परियोजनाओं के लिए फंड के विरुद्ध किए गए संदाय</b>		
(क) भारत सरकार से	.....	.....	(प्रत्येक फंड या परियोजना के नाम के लिए किए गए संदायों की विशिष्टियों के साथ दर्शित किए जाने चाहिए।)	.....	.....
(ख) राज्य सरकार से	.....	.....			
(ग) अन्य स्रोतों से (ब्यौरे)	.....	.....			
(पूंजी और राजस्व व्यय के लिए अनुदान पृथक रूप से उपदर्शित करें)					

प्राप्तियां	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष	संदाय	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
<b>III. विनिवेशों पर आय</b>			<b>III. किए गए विनिधान और निक्षेप</b>		
(क) निश्चित विन्यास निधियां	.....	.....	(क) निश्चित/सावधि निधियों से	.....	.....
(ख) अपनी निधियां (अन्य विनिवेश)	.....	.....	(ख) अपनी निधियों से (विनिधान-अन्य)	.....	.....
<b>IV. प्राप्त ब्याज</b>			<b>IV. नियत आस्तियों और पूंजी पर खर्च से संकर्म जो चल रहे हैं</b>		
(क) बैंक निक्षेपों पर	.....	.....	(क) नियत आस्तियों पर खरीद	.....	.....
(ख) ऋण अग्रिम इत्यादि	.....	.....	(ख) संकर्म जो चल रहे हैं पर खर्च	.....	.....
<b>V. अन्य आय (विनिर्दिष्ट करें)</b>	.....	.....	<b>V. अधिशेष धन/उधार की प्रतिदाय</b>		
			(क) भारत सरकार को	.....	.....
			(ख) राज्य सरकार को	.....	.....
			(ग) निधियों के अन्य प्रदाताओं को	.....	.....
<b>VI. उधार ली गई रकम</b>	.....	.....	<b>VI. बिल प्रभार (ब्याज)</b>	.....	.....
<b>VII. कोई अन्य प्राप्तियों (ब्यौरे दें)</b>	.....	.....	<b>VII. अन्य संदाय (विनिर्दिष्ट करें)</b>	.....	.....
			<b>VIII. बंद अतिशेष</b>	.....	.....
			(क) हाथ में नकद	.....	.....
			(ख) बैंक अतिशेष	.....	.....
			(i) चालू खाते में	.....	.....
			(ii) निक्षेप खाते में	.....	.....
			(iii) बचत खाता	.....	.....
<b>कुल</b>	.....	.....	<b>कुल</b>	.....	.....

**वित्तीय विवरणी का प्ररूप (अलाभकारी संगठन)**

सत्ता का नाम .....

..... को समाप्त अवधि के लिए लेखाओं की भागरूप अनुसूचियां

**अनुसूची -24- महत्वपूर्ण लेखा नीतियां (उद्धरण)—जारी**

6.2. वर्ष के दौरान नियत आस्तियों में वृद्धि/कटौती की बाबत अवक्षयण अनुपाततः स्वीकार किया जाता है।

6.3. 5,000 रु. या उससे कम की लागत की आस्तियों में से प्रत्येक का पूर्ण उपबंध किया जाता है।

**7. प्रकीण व्यय**

आस्थगित राजस्व व्यय, उस वर्ष से, जिसमें यह उद्भूत होता है। 5 वर्ष की अवधि में अपलिखित किया जाता है।

**8. विक्रय के लिए लेखा**

विक्रय में उत्पाद शुल्क सम्मिलित है और विक्रय विवरण, रिबेट तथा व्यवसाय छूट भी सम्मिलित है।

**9. सरकारी अनुदान/साहायिकी**

9.1. परियोजना लगाने की पूंजीगत लागत मद्दे अभिदाय की प्रकृति के सरकारी अनुदानों को पूंजी आरक्षित के रूप में लिया जाएगा।

9.2. अर्जित विनिर्दिष्ट नियत आस्तियों की बाबत अनुदानों को संबंधित आस्तियों की लागत से कटौती के रूप में दिखाया जाता है।

9.3. सरकारी अनुदान/साहायिकी की वसूली को आधार पर संगणित किया जाता है।

**10. विदेशी मुद्रा संव्यवहार**

10.1. विदेशी करेंसी में अंकित मूल्य संव्यवहार, संव्यवहार की तारीख को प्रचलित विनिमय दर से माना जाता है।

10.2. चालू आस्तियों, विदेशी मुद्रा में विद्यमान उधार और चालू दायित्व वर्ष के अंत पर विनिमय दर पर परिवर्तित किए जाते हैं और परिणामिक लाभ/हानि नियत आस्तियों की लागत में समायोजित की जाएगी आदि विदेशी मुद्रा में दायित्व नियत आस्ति से संबंधित हो और दूसरे मामलों में राजस्व में लिया जाएगा।

**11. पट्टा**

पट्टे के किराये को पट्टे की शर्तों के अनुसार छूट दी जाती है।

**12. सेवानिवृत्ति फायदे**

- 12.1. कर्मचारियों की मृत्यु/सेवानिवृत्ति पर संदेय उपदान मददे दायित्व बीमांकित मूल्यांकन पर उपाजित किया जाता है।  
12.2. कर्मचारियों के लिए संचित छूट्टी के भुगतान के लिए उपबंध इस धारणा पर उद्भूत और संगणित किया जाता है कि कर्मचारी प्रत्येक वर्ष के अंत में फायदा प्राप्त करने के हकदार हैं।

**वित्तीय विवरणी का प्ररूप (अलाभकारी संगठन)**

सत्ता का नाम .....

..... को समाप्त अवधि के लिए लेखाओं की भाग रूप अनुसूचियां-----

**अनुसूची 25****1. समाश्रित दायित्व और लेखा टिप्पण (उद्धरण रूप में)**

- 1.1. सत्ता के विरुद्ध दावे जिनको ऋण के रूप में अभिस्वीकार नहीं किया गया है-----रु. (पूर्व वर्ष-----रु.)  
1.2. इनकी बाबत:  
— सत्ता द्वारा/उसकी ओर से दी गई बैंक गारंटी-----रु. (पूर्व वर्ष-----रु.)  
— सत्ता की ओर से बैंक द्वारा खोले गए प्रत्यय पत्र-----रु. (पूर्व वर्ष-----रु.)  
— बैंक से छूट प्राप्त बिल-----रु. (पूर्व वर्ष-----रु.)  
1.3. इनकी बाबत विवादित मांग—  
आयकर-----रु. (पूर्व वर्ष-----रु.)  
विक्रयक्रय-----रु. (पूर्व वर्ष-----रु.)  
नगरपालिका कर-----रु. (पूर्व वर्ष-----रु.)  
1.4. आदेशों के अनिष्पादन के लिए पक्षकारों से दावों की बाबत, लेकिन जिसका सत्ता द्वारा विरोध किया गया है-----रु. (पूर्व वर्ष-----रु.)

**2. पूंजी प्रतिबद्धता**

पूंजी खाते में निष्पादित किए जाने के लिए शेष संविदाओं का अनुमानित मूल्य जिनके लिए उपबंध नहीं किया गया है (अणुओं का योग) और-----रु. (पूर्व वर्ष-----रु.) (शुद्ध अग्रिम)

**3. पट्टा गत बाध्यताएं**

संयंत्र और मशीनरी के लिए वित्त पट्टा व्यवस्था के अधीन किराये के लिए भविष्य की बाध्यताएं रकम-----रु. (पूर्व वर्ष-----रु.)

**4. चालू आस्ति, उधार और अग्रिम**

प्रबंधमंडल की राय में, चालू आस्तियों, उधार और अग्रिमों का कारबार के सामान्य अनुक्रम में वसूली पर मूल्य होता है जो तुलन-पत्र में दर्शित कुल रकम के लगभग बराबर होता है।

**5. कराधान**

यदि आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन कोई करादेय आय नहीं है तो आयकर के लिए उपबंध आवश्यक नहीं माना गया।

**अनुसूची 25-समाश्रित दायित्व और लेखा टिप्पण (उद्धरणाल्मक)--जारी****6. विदेशी करेंसी संव्यवहार**

(रकम.....रु.)

चालू वर्ष

पूर्व वर्ष

**6.1 सी.आई.एफ. के आधार पर संगणित आयातों का मूल्य**

- तैयार माल की खरीद  
— कच्ची सामग्री और संघटक (अभिवहनाधीन सहित)  
— पूंजी माल  
— भंडार, पुर्जे और खपने वाला सामान

**6.2 विदेशी करेंसी में व्यय**

- (क) यात्रा
- (ख) वित्त संस्थाओं/बैंकों को विदेशी करेंसी में भेजी गई रकम और ब्याज संदाय
- (ग) अन्य व्यय
- विक्रय पर कमीशन
  - विधिक और वृत्तिक व्यय
  - विविध व्यय

**6.3 उपाजन**

एफ.ओ.बी. आधार पर निर्यातों का मूल्य

**6.4 लेखापरीक्षक का पारिश्रमिक**

लेखापरीक्षक के रूप में

- कराधान मामले
- प्रबंधन सेवाओं के लिए
- प्रमाणन के लिए

अन्य

7. पूर्व वर्ष के लिए तत्स्थानी आंकड़े, जहां सही आवश्यक है, पुनःसमूहीकृत/पुनःव्यवस्थित किए गए हैं।

8. अनुसूची 1 से 25 संलग्न है और— — — — — पर तुलनपत्र के अनिवार्य भागरूप हैं और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा उपाबद्ध है।

**अलाभकारी संगठनों और अन्य समरूप संस्थाओं के वित्तीय विवरण के पालन हेतु टिप्पण और अनुदेश**

**अनुदेश और लेखा सिद्धांत**

1. अलाभकारी और अन्य समरूप संगठनों के वित्तीय विवरण (जैसे—तुलनपत्र और आय और व्यय लेखा) गणितीय आधार पर तैयार किए जाएंगे; और सुझाव दिए गए प्ररूप या उसके समान, जहां तक संभव हो, में होंगे।

सूचना इस प्ररूप के किसी भी मद या उपमद के अधीन दी जानी अपेक्षित है; तो यह यथास्थिति तुलनपत्र या आय और व्यय लेखा में आसानी से सम्मिलित नहीं हो सकती है वह उससे अनुसूचीय अनुसूचियों में पृथक दी जा सकेगी और तुलनपत्र या आय और व्यय लेखा का भागरूप भाग होगी। यह सिफारिश तब की जाती है जहां मद अंकों में हो।

2. तुलनपत्र और आय और व्यय लेखा को तैयार करने में अपनाई गई सभी महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का विवरण वित्तीय विवरण में सम्मिलित किया जाएगा और महत्वपूर्ण नीतियां एक स्थान पर प्रकट की जानी चाहिए। लेखा नीतियां और वित्तीय विवरण को तैयार करने में सत्ता द्वारा अंगीकृत सिद्धान्तों को लागू करने की विनिर्दिष्ट लेखा नीतियों, पद्धति के प्रति निर्दिष्ट करती है। जहाँ कोई लेखा नीति लेखा मानकों के अनुरूप नहीं होती और लेखा मानकों से विचलित होने का प्रभाव, विचलक की विशिष्टियां उसके कारणों सहित और उसके वित्तीय प्रभावों सहित, वहां के ऐसे किसी सिवाय जहां ऐसे प्रभाव निश्चित नहीं है, प्रकट किए जाएंगे।

3. लेखा नीतियां एक वित्तीय वर्ष से अगले वित्तीय वर्ष तक नियत रूप से लागू होगी। लेखा नीतियों में ऐसे किसी परिवर्तन जो चालू अवधि में तात्त्विक प्रभाव रखता है या जिसके बाद की अवधि में तात्त्विक प्रभाव रखने की युक्तियुक्त संभावनाएं, प्रकट किया जाएगा। लेखा, नीतियों में परिवर्तन की दशा में, जो चालू अवधि में तात्त्विक प्रभाव रखते हैं; वह मात्रा जिसके द्वारा वित्तीय विवरण में कोई मद ऐसे परिवर्तन द्वारा प्रभावित होती है, भी निश्चित किए जाने योग्य सीमा तक प्रकट की जाएगी। जहां मात्रा निश्चित न हो तो पूर्णतः तथ्य को प्रकट किया जाएगा।

4. तुलनपत्र और आय और व्यय लेखा में संव्यवहारों और घटनाओं का लेखा उपचार और प्रस्तुतीकरण उनके सार से शासित होगा और न कि केवल विधिक प्ररूप द्वारा।

5. लेखा उपचार और तुलनपत्र और/या आय-व्यय लेखा में किसी मद के प्रकटकरण की रीति का अवधारण करने में उसके महत्व पर सम्यक रूप से विचार किया जाएगा।

6. सभी ज्ञात दायित्वों और हानियों के लिए उपबंध किया जाएगा यद्यपि उसकी मात्रा सही रूप में अवधारित नहीं की जा सकती (और रकम का उपबंध उपलब्ध जानकारी को ध्यान में रखते हुए सर्वोत्तम अनुमान का प्रतिनिधित्व करती है)। 'उपबंध' से कोई रकम अभिप्रेत है जो आस्तियों के मूल्य में अवक्षयन, नवीकरण या ह्रास के लिए उपलब्ध करके बट्टे खाते डाली गई है या प्रतिधारित की गई है या किसी ज्ञात दायित्व के लिए उपलब्ध करके प्रतिधारित की गई है; रकम जिसको गणितीय सार सहित अवधारित नहीं किया जा सकता।

**आकस्मिक हानि के लिए उपबंध किया जाएगा यदि :**

- (क) यह अधिसंभाव्य है कि भविष्य की घटनाएं यह पुष्टि करती हैं कि संबंधित किसी अधिसंभाव्य वसूली को संगणित करने के पश्चात् किसी आस्ति को क्षति हुई है या कोई दायित्व तुलनपत्र की तारीख पर उद्भूत हुआ है, और
- (ख) परिणामिक हानि की रकम का युक्तियुक्त अनुमान किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त शर्तों से कोई नहीं पूरी होती तो आकस्मिक हानि की विद्यमानता आय और व्यय के टिप्पण के माध्यम से तब तक प्रकट नहीं की जाएगी, जब तक हानि की संभावना दूरवर्ती न हो।

**प्ररूप-ख**

**(नियम 8 देखें)**

**विश्व मामलों से संबंधित भारतीय परिषद्**

**वार्षिक रिपोर्ट**

वित्तीय वर्ष-----के लिए वार्षिक रिपोर्ट

1. परिचय
2. परिषद् का गठन जिसमें उसमें परिवर्तन भी हैं
3. परिषद् की बैठकें
4. समितियों का संविधान
5. समितियों की बैठकें
6. अनुदान सहायता
7. प्रकाशन
8. पुस्तकालय
9. सम्मेलन/परिसंवाद/कॉन्फरेंस
10. पंचाट
11. अनुसंधान और विश्लेषण
12. परिषद् में विदेशी उच्चपदस्थों की आगमन
13. केन्द्रीय सरकार या शासीनिकाय द्वारा परिषद् को निर्दिष्ट मामलों पर रिपोर्ट
14. परिषद् के परिसर में कार्यरत कॉउन्सिल फॉर सेक्योरिटी एण्ड कोऑपरेशन इन द एशिया-पैसिफिक (सी एस सी ए पी) इण्डिया सेक्रेटरीएट एण्ड अफ्रीका सेंटर।

नई दिल्ली :

तारीख :

हस्ताक्षर/

महानिदेशक

## MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

## NOTIFICATION

New Delhi, the 21st February, 2006

**G.S.R. 74(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 25 of the Indian Council of World Affairs Act, 2001 (29 of 2001), the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

**1. Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Indian Council of World Affairs Rules, 2006.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Definitions.**— In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) “Act” means the Indian Council of World Affairs Act, 2001 (29 of 2001);

(b) “Form” means a Form annexed to these rules;

(c) “section” means a section of the Act;

(d) words and expressions used herein and not defined but defined in the Act shall have the meanings as respectively assigned to them in the Act.

**3. Manner of filling vacancies among members.**— (1) The nomination under Section 7 to fill the vacancy caused by the expiration of the term of office of a member shall be made before the expiration of the term of the office of such member.

(2) The Director-General shall, before four months of the expiration of the term of office of the member take action for the filling up of the vacancy and make a request to,—

(a) the Speaker of the Lok Sabha or the Chairman of the Rajya Sabha, as the case may be, in case the member is to be nominated under clause (d);

(b) the Council, in case the member is to be nominated under clause (e) or clause (f);

(c) the Governing Body, in case the member is to be nominated under clause (g) or clause (h);

(d) the Central Government, in case the member is to be nominated under clause (j), of sub-section (2) of Section 7 to nominate a member to fill up such vacancy.

(3) The nomination to fill the casual vacancy in the office of a member shall be made as soon as possible after the date of occurrence of such vacancy.

**4. Functions of the Council.**— In addition to the functions specified in Section 16, the Council shall have the following functions, namely :—

(a) to consider and formulate the matters relating to policy of the Council; and

(b) to consider and approve programme and specific projects of the Council as proposed by the Governing Body.

**5. Powers of the President.**— Subject to the provisions of the Act, the President shall have the following powers and functions, namely :—

(a) to preside over meetings of the Council and the Governing Body;

(b) to be the highest authority on matters pertaining to the administration of the Council;

(c) to nominate the member to represent the Council in India and abroad;

(d) to advise, and provide guidance to, the Council and Governing Body on policy matters impinging on the work of the Council; and

(e) to delegate such of his powers and functions as he may think necessary, to the Vice-President or, as the case may be, the Director-General.

**6. Allowances of members.**— (1) Members covered under clause (b) and (d) to (h) of sub-section 2 of Section 7 shall be entitled to allowances in accordance with the O.M. No. F. 6(26)-E.IV/59, dated the 5th September, 1960 of the Government of India in the Ministry of Finance, as amended from time to time.

(2) A person who is holding a post under the Central Government, the State Government or, as the case may be, a

Statutory Authority established or constituted under any law for the time being in force and nominated as a member under sub-section (2) of Section 7, shall get the same allowances as are admissible to his post in accordance with the relevant rules or regulations for the time being in force.

**7. Annual statement of accounts.**—(1) The Council shall maintain proper accounts and other relevant records and shall prepare an annual statement of accounts, including balance sheet in Form A.

(2) The annual statement of accounts referred to in sub-section (1) shall be signed and authenticated by the Director-General.

**8. Annual report.**— The Council shall prepare every year an annual report giving true and full account of its activity during the previous year in Form B and forward copies of such annual report to the Central Government before the end of the month of September of succeeding financial year.

**9. Residuary provisions.**— If any difficulty arises in implementing these rules, the matter may be referred to the Central Government for its clarification and the action shall be taken in accordance with such clarification.

[No. F (ii) 12(51) 2002]

K. P. ERNEST, Addl. Secy.

**FORM A**

[See rule 7(i)]

**INDIAN COUNCIL OF WORLD AFFAIRS**

FORM OF FINANCIAL STATEMENTS

NAME OF ENTITY .....

INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE PERIOD/YEAR ENDED .....

(Amount—Rs.)

	Schedule	Current Year	Previous Year
<b>INCOME</b>			
Income from Sales/Services	12	.....	.....
Grants/Subsidies	13	.....	.....
Fees/Subscriptions	14	.....	.....
Income from Investments (Income on Invest from earmarked/ endow. Funds transferred to Funds)	15	.....	.....
Income from Royalty, Publication etc.	16	.....	.....
Interest Earned	17	.....	.....
Other Income	18	.....	.....
Increase/(decrease) in stock of Finished goods and works-in-progress	19	.....	.....
<b>TOTAL (A)</b>		.....	.....
<b>EXPENDITURE</b>			
Establishment Expenses	20	.....	.....
Other Administrative Expenses etc.	21	.....	.....
Expenditure on Grants, Subsidies etc.	22	.....	.....
Interest	23	.....	.....
Depreciation (Net Total at the year-end – corresponding to Schedule 8)			
<b>TOTAL (B)</b>		.....	.....
Balance being excess of Income over Expenditure (A-B)			
Transfer to Special Reserve (Specify each)		.....	.....
Transfer to/from General Reserve		.....	.....
<b>BALANCE BEING SURPLUS/(DEFICIT) CARRIED TO CORPUS/ CAPITAL FUND</b>		.....	.....
<b>SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES</b>	24		
<b>CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS</b>	25		



**(c) Utilisation/Expenditure towards objectives of funds****i. Capital Expenditure**

— Fixed Assets	.....	.....	.....	.....	.....	.....
— Others	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Total	.....	.....	.....	.....	.....	.....

**ii. Revenue Expenditure**

— Salaries, Wages and allowances etc.	.....	.....	.....	.....	.....	.....
— Rent	.....	.....	.....	.....	.....	.....
— Other Administrative expenses	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Total	.....	.....	.....	.....	.....	.....

TOTAL (c)	.....	.....	.....	.....	.....	.....
-----------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

NET BALANCE AS AT THE YEAR-END (a + b + c)	.....	.....	.....	.....	.....	.....
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Notes :**

- (1) Disclosures shall be made under relevant heads based on conditions attaching to the grants.
- (2) Plan Funds received from the Central/State Governments are to be shown as separate Funds and not to be mixed up with any other Funds.

**FORM OF FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANISATIONS)**

NAME OF ENTITY .....

SCHEDULE FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT \_\_\_\_\_

(Amount—Rs.)

	Current Year	Previous Year
<b>SCHEDULE 4—SECURED LOANS AND BORROWINGS :</b>		
1. Central Government	.....	.....
2. State Government (Specify)	.....	.....
3. Financial Institutions:		
(a) Term Loans	.....	.....
(b) Interest accrued and due	.....	.....
4. Banks :		
(a) Term Loans	.....	.....
— Interest accrued and due	.....	.....
(b) Other Loans (Specify)	.....	.....
— Interest accrued and due	.....	.....
5. Other Institutions and Agencies	.....	.....
6. Debentures and Bonds	.....	.....
7. Others (Specify)	.....	.....
<b>TOTAL</b>	.....	.....

**Note :** Amounts due within one year

## FORM OF FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANISATIONS)

Name of Entity \_\_\_\_\_

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT \_\_\_\_\_

(Amount—Rs.)

	Current Year	Previous Year
<b>SCHEDULE 5—UNSECURED LOANS AND BORROWINGS</b>		
1. Central Government	.....	.....
2. State Government (Specify)	.....	.....
3. Financial Institutions	.....	.....
4. Banks :		
(a) Term Loans	.....	.....
(b) Other Loans (specify)	.....	.....
5. Other Institutions and Agencies	.....	.....
6. Debentures and Bonds	.....	.....
7. Fixed Deposits	.....	.....
8. Others (Specify)	.....	.....
<b>TOTAL</b>	.....	.....

Note : Amounts due within one year

	Current Year	Previous Year
<b>SCHEDULE 6—DEFERRED CREDIT LIABILITIES:</b>		
(a) Acceptances secured by hypothecation of capital equipment and other assets	.....	.....
(b) Others	.....	.....
<b>TOTAL</b>	.....	.....

Note : Amounts due within one year

## FORM OF FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANISATIONS)

Name of Entity \_\_\_\_\_

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT \_\_\_\_\_

(Amount—Rs.)

	Current Year	Previous Year
<b>SCHEDULE 7—CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS</b>		
<b>A. CURRENT LIABILITIES</b>		
1. Acceptances	...	...
2. Sundry Creditors :		
(a) For Goods	...	...
(b) Others	...	...
3. Advances Received	...	...
4. Interest accrued but not due on :		
(a) Secured Loans/borrowings	...	...
(b) Unsecured Loans/borrowings	...	...
5. Statutory Liabilities		
(a) Overdue	...	...
(b) Others	...	...
6. Other Current Liabilities	...	...
<b>TOTAL (A)</b>	...	...

**FORM OF FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANISATIONS)**

Name of Entity \_\_\_\_\_

**SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT**

(Amount—Rs.)

**B. PROVISIONS**

1. For Taxation	...	...
2. Gratuity	...	...
3. Superannuation/Pension	...	...
4. Accumulated Leave Encashment	...	...
5. Trade Warranties/Claims	...	...
6. Others (Specify)	...	...
<b>TOTAL (B)</b>	...	...
<b>TOTAL (A+B)</b>	...	...

(Amount—Rs.)

**SCHEDULE 8—FIXED ASSETS**

DESCRIPTION	GROSS BLOCK			
	Cost/valuation as at beginning of the year	Additions during the year	Deduction during the year	Cost/valuation at the year-end
<b>A. FIXED ASSETS :</b>				
1. LAND:				
(a) Freehold	...	...	(...)	...
(b) Leasehold	...	...	(...)	...
2. BUILDINGS:				
(a) On Freehold Land	...	...	(...)	...
(b) On Leasehold Land	...	...	(...)	...
(c) Ownership Flats/Premises	...	...	(...)	...
(d) Superstructures on Land not belonging to the entity	...	...	(...)	...
3. PLANT MACHINERY & EQUIPMENT	...	...	(...)	...
4. VEHICLES	...	...	(...)	...
5. FURNITURE, FIXTURES	...	...	(...)	...
6. OFFICE EQUIPMENT	...	...	(...)	...
7. COMPUTER/PERIPHERALS	...	...	(...)	...
8. ELECTRIC INSTALLATIONS	...	...	(...)	...
9. LIBRARY BOOKS	...	...	(...)	...
10. TUBEWELLS & W. SUPPLY	...	...	(...)	...
11. OTHER FIXED ASSETS	...	...	(...)	...
<b>TOTAL OF CURRENT YEAR</b>	...	...	(...)	...
<b>PREVIOUS YEAR</b>	...	...	(...)	...

**SCHEDULE 8—FIXED ASSETS**

	DEPRECIATION			NET BLOCK		
	As at the beginning of the year	On Additions during the year	On deductions during the year	Total up to the year-end	As at the Current year-end	As at the Previous year-end
<b>A. FIXED ASSETS:</b>						
1. LAND:						
(a) Freehold	...	...	...	...	...	...
(b) Leasehold	...	...	...	...	...	...
2. BUILDINGS:						
(a) On Freehold Land	...	...	...	...	...	...
(b) On Leasehold Land	...	...	...	...	...	...
(c) Ownership Flats/Premises	...	...	...	...	...	...
(d) Superstructures on Land not belonging to the entity	...	...	...	...	...	...
3. PLANT MACHINERY & EQUIPMENT	...	...	...	...	...	...
4. VEHICLES	...	...	...	...	...	...
5. FURNITURE, FIXTURES	...	...	...	...	...	...
6. OFFICE EQUIPMENT	...	...	...	...	...	...
7. COMPUTER/PERIPHERALS	...	...	...	...	...	...
8. ELECTRIC INSTALLATIONS	...	...	...	...	...	...
9. LIBRARY BOOKS	...	...	...	...	...	...
10. TUBEWELLS & W. SUPPLY	...	...	...	...	...	...
11. OTHER FIXED ASSETS	...	...	...	...	...	...
<b>TOTAL OF CURRENT YEAR</b>	...	...	...	...	...	...
<b>PREVIOUS YEAR</b>	...	...	...	...	...	...
<b>B. CAPITAL WORK-IN-PROGRESS</b>						
<b>TOTAL</b>	...	...	...	...	...	...

(Note to be given as to cost of assets on hire purchase basis included above)

FORM OF FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANISATIONS)

NAME OF ENTITY. \_\_\_\_\_

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT \_\_\_\_\_

(Amount—Rs.)

	Current Year	Previous Year
<b>SCHEDULE 9—INVESTMENTS FROM EARMARKED/ ENDOWMENT FUNDS</b>		
1. In Government Securities	...	...
2. Other Approved Securities	...	...
3. Shares	...	...
4. Debentures and Bonds	...	...
5. Subsidiaries and Joint Ventures	...	...
6. Others (to be specified)	...	...)
<b>TOTAL</b>	...	...

## FORM OF FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANISATIONS)

Name of Entity. \_\_\_\_\_

SCHEDULE FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT \_\_\_\_\_

(Amount Rs.)

	Current Year	Previous Year
<b>SCHEDULE 10—INVESTMENTS—OTHERS</b>		
1. In Government Securities	...	...
2. Other approved Securities	...	...
3. Shares	...	...
4. Debentures and Bonds	...	...
5. Subsidiaries and Joint Ventures	...	...
6. Others (to be Specified)	...	...
<b>TOTAL</b>	...	...
<b>SCHEDULE 11—CURRENT ASSETS, LOANS, ADVANCES ETC.</b>		
<b>A. CURRENT ASSETS :</b>		
1. Inventories :		
(a) Stores and Spares	...	...
(b) Loose Tools	...	...
(c) Stock-in-trade	...	...
Finished Goods	...	...
Work-in-progress	...	...
Raw Materials	...	...
2. Sundry Debtors :	—	—
(a) Debts Outstanding for a period exceeding six months	...	...
(b) Others	...	...
3. Cash balances in hand (including cheques/drafts and imprest)	—	...
4. Bank Balances :		
(a) With Scheduled Banks :		
—On Current Accounts	...	...
—On Deposit Accounts (includes margin money)	...	...
—On Savings Accounts	...	...
(b) With non-Scheduled Banks :	—	—
—On Current Accounts	...	...
—On Deposits Accounts	...	...
—On Savings Accounts	...	...
5. Post Office Savings Accounts	...	...
<b>TOTAL (A)</b>	...	...

461 GI/2006-4

## FORM OF FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANISATIONS)

Name of Entity. \_\_\_\_\_

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT \_\_\_\_\_

(Amount Rs.)

**SCHEDULE 11—CURRENT ASSETS, LOANS, ADVANCES ETC. (Contd.)****B. LOANS, ADVANCES AND OTHER ASSETS :****1. Loans :**

(a) Staff	...	...	...
(b) Other Entries engaged in activities/objectives similar to that of the Entity	...	...	...
(c) Other (Specify)	...	...	...

**2. Advances and other amounts recoverable in cash or in kind or for value to be received:**

(a) On Capital Account	...	...	...
(b) Prepayments	...	...	...
(c) Others	...	...	...

**3. Income Accrued:**

(a) On Investments from Earmarked/Endowment Funds	...	...	...
(b) On Investments—Others	...	...	...
(c) On Loans and Advances	...	...	...
(d) Others (includes income due unrealised—Rs.....)	...	...	...

**4. Claims Receivable**

<b>TOTAL (B)</b>	...	...	...
<b>TOTAL (A+B)</b>	...	...	...

**SCHEDULE 12—INCOME FROM SALES/SERVICES****(1) Income from Sales**

(a) Sale of Finished Goods	...	...
(b) Sale of Raw Material	...	...
(c) Sale of Scraps	...	...

**(2) Income from Services**

(a) Labour and Processing Charges	...	...
(b) Professional/Consultancy Services	...	...
(c) Agency Commission and Brokerage	...	...
(d) Maintenance Services (Equipment/Property)	...	...
(e) Others (Specify)	...	...

<b>TOTAL</b>	...	...
--------------	-----	-----

FORM OF FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANISATIONS)  
SCHEDULES FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE FOR THE PERIOD/YEAR ENDED \_\_\_\_\_

(Amount Rs.)

	Current Year	Previous Year
<b>SCHEDULE 13—GRANTS/SUBSIDIES</b>		
(Irrevocable Grants & Subsidies Received)		
(1) Central Government	...	...
(2) State Government(s)	...	...
(3) Government Agencies	...	...
(4) Institutions/Welfare Bodies	...	...
(5) International Organisations	...	...
(6) Others (Specify)	...	...
<b>TOTAL</b>	...	...
<b>SCHEDULE 14—FEES/SUBSCRIPTIONS</b>		
(1) Entrance Fees	.....	.....
(2) Annual Fees/Subscriptions	.....	.....
(3) Seminar/Program Fees	.....	.....
(4) Consultancy Fees	.....	.....
(5) Others (Specify)	.....	.....
<b>TOTAL</b>	.....	.....

**Note.**—Accounting Policies towards each item are to be disclosed.

	Investment from Earmarked Fund		Investment—Others	
	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year
<b>SCHEDULE 15—INCOME FROM INVESTMENTS</b>				
(Income on Invest. from Earmarked/Endowment Funds transferred to Funds)				
(1) Interest :				
(a) On Govt. Securities	.....	.....	.....	.....
(b) Other Bonds/Debentures	.....	.....	.....	.....
(2) Dividends :				
(a) On Shares	.....	.....	.....	.....
(b) On Mutual Fund Securities	.....	.....	.....	.....
(3) Rents	.....	.....	.....	.....
(4) Others (Specify)	.....	.....	.....	.....
<b>TOTAL</b>	.....	.....	.....	.....
<b>TRANSFERRED TO EARMARKED/ ENDOWMENT FUNDS</b>	.....	.....		

## FORM OF FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANISATIONS)

Name of Entity. \_\_\_\_\_

SCHEDULER FORMING PART OF INCOME &amp; EXPENDITURE FOR THE PERIOD YEAR ENDED \_\_\_\_\_

(Amount Rs.)

	Current Year	Previous Year
<b>SCHEDULE 16—INCOME FROM ROYALTY, PUBLICATION ETC.</b>		
(1) Income from Royalty	.....	.....
(2) Income from Publications	.....	.....
(3) Others (specify)	.....	.....
<b>TOTAL</b>		**

**SCHEDULE 17—INTEREST EARNED**

(1) On Term Deposits :		
(a) With Scheduled Banks	.....	.....
(b) With Non-Scheduled Banks	.....	.....
(c) With Institutions	.....	.....
(d) Others		
(2) On Savings Accounts :		
(a) With Scheduled Banks	.....	.....
(b) With Non-Scheduled Banks	.....	.....
(c) Post Office Savings Accounts	.....	.....
(d) Others		
(3) On Loans :		
(a) Employees/Staff	.....	.....
(b) Others	.....	.....
(4) Interest on Debtors and Other Receivables	.....	.....
<b>TOTAL</b>	.....	.....

**Note.**—Tax deducted at source to be indicated.**SCHEDULE 18—OTHER INCOME**

(1) Profit on Sale/disposal of Assets :		
(a) Owned assets	.....	.....
(b) Assets acquired out of grants, or received free of costs	.....	.....
(2) Export Incentives realized	.....	.....
(3) Fees for Miscellaneous	.....	.....
(4) Miscellaneous Income	.....	.....
<b>TOTAL</b>	.....	.....

**SCHEDULE 19—INCREASE/(DECREASE) IN STOCK OF FINISHED GOODS & WORK IN PROGRESS**

(a) Closing Stock :		
—Finished Goods	.....	.....
—Work-in-progress	.....	.....
(b) Less : Opening Stock		

**FORM OF FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANISATIONS)**

Name of Entity.

SCHEDULE FORMING PART OF INCOME &amp; EXPENDITURE FOR THE PERIOD YEAR ENDED \_\_\_\_\_

(Amount Rs.)

	Current Year	Previous Year
—Finished Goods	(.....)	(.....)
—Work-in-progress	(.....)	(.....)
<b>NET INCREASE/DECREASE) [a-b]</b>	.....	.....
<b>SCHEDULES 20—ESTABLISHMENT EXPENSES</b>		
(a) Salaries and Wages	.....	.....
(b) Allowances and Bonus	.....	.....
(c) Contribution to Provident Fund	.....	.....
(d) Contribution to Other Fund (specify)	.....	.....
(e) Staff Welfare Expenses	.....	.....
(f) Expenses on Employees' Retirement and Terminal Benefits	.....	.....
(g) Others (specify)	.....	.....
<b>TOTAL</b>	.....	.....
<b>SCHEDULE 21—OTHER ADMINISTRATIVE EXPENSES ETC.</b>		
(a) Purchases	.....	.....
(b) Labour and processing expenses	.....	.....
(c) Cartage and Carriage Inwards	.....	.....
(d) Electricity and power	.....	.....
(e) Water charges	.....	.....
(f) Insurance	.....	.....
(g) Repairs and Maintenance	.....	.....
(h) Excise Duty	.....	.....
(i) Rent, Rates and Taxes	.....	.....
(j) Vehicles Running and Maintenance	.....	.....
(k) Postage, Telephone and Communication Charges	.....	.....
(l) Printing and Stationery	.....	.....
(m) Travelling and Conveyance Expenses	.....	.....
(n) Expenses on Seminar/Workshops	.....	.....
(o) Subscription Expenses	.....	.....
(p) Expenses on Fees	.....	.....
(q) Auditors Remuneration	.....	.....
(r) Hospitality Expenses	.....	.....
(s) Professional Charges	.....	.....
(t) Provision for Bad and Doubtful Debts/Advances	.....	.....
(u) Irrecoverable Balance Written-off	.....	.....
(v) Packing Charges	.....	.....
(w) Freight and Forwarding Expenses	.....	.....
(x) Distribution Expenses	.....	.....
(y) Advertisement and Publicity	.....	.....
(z) Others (specify)	.....	.....
<b>TOTAL</b>	.....	.....

## FORM OF FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANISATIONS)

Name of Entity .....

SCHEDULES FORMING PART OF INCOME &amp; EXPENDITURE FOR THE PERIOD/YEAR ENDED .....

(Amount Rs.)

	Current Year	Previous Year
<b>SCHEDULE 22—EXPENDITURE ON GRANTS, SUBSIDIES ETC.</b>		
(a) Grants given to Institutions/Organisations	.....	.....
(b) Subsidies given to Institutions/Organisations	.....	.....
<b>TOTAL</b>	.....	.....

Note—Name of the Entities, their Activities along with the amount of Grants/Subsidies are to be disclosed.

**SCHEDULE 23—INTEREST**

(a) On Fixed Loans	.....	.....
(b) On Other Loans (including Bank Charges)	.....	.....
(c) Others (specify)	.....	.....
<b>TOTAL</b>	.....	.....

**SCHEDULE 24—SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (ILLUSTRATIVE)****1. ACCOUNTING CONVENTION**

The financial statements are prepared on the basis of historical cost convention, unless otherwise stated and on the accrual method of accounting.

**2. INVENTORY VALUATION**

- 2.1. Stores and Spares (including machinery spares) are valued at cost.
- 2.2. Raw materials, semi-finished goods and finished goods are valued at lower of cost and net realizable value. The costs are based on weighted average cost. Cost of finished goods and semi-finished goods is determined by considering material, labour and related overheads.

**3. INVESTMENTS**

- 3.1. Investments classified as "long term investments" are carried at cost. Provision for decline, other than temporary, is made in carrying cost of such investments.
- 3.2. Investments classified as "Current" are carried at lower of cost and fair value. Provision for shortfall on the value of such investments is made for each investment considered individually and not on a global basis.
- 3.3. Cost includes acquisition expenses like brokerage, transfer stamps.

**4. EXCISE DUTY**

Liability for excise duty in respect of goods produced by the entity, other than for exports, is accounted upon completion of manufacture and provision is made for excisable manufactured goods as at the year end.

**5. FIXED ASSETS**

- 5.1. Fixed Assets are stated at cost of acquisition inclusive of inward freight, duties and taxes and incidental and direct expenses related to acquisition. In respect of projects involving construction, related pre-operational expenses (including interest on loans for specific project prior to its completion), form part of the value of the assets capitalized.
- 5.2. Fixed Assets received by way of non-monetary grants, (other than towards the Corpus Fund), are capitalized at values stated, by corresponding credit to Capital Reserve.

**6. DEPRECIATION**

- 6.1 Depreciation is provided on straight-line method as per rates specified in the Income-tax Act, 1961 except depreciation on cost adjustments arising on account of conversion of foreign currency, liabilities for acquisition of fixed assets, which is amortized over the residual life of the respective assets.

## FORM OF FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANISATIONS)

Name of Entity .....

RECEIPTS AND PAYMENTS FOR THE PERIOD/YEAR ENDED .....

(Amount Rs.)

RECEIPTS	Current Year	Previous Year	PAYMENTS	Current Year	Previous Year
<b>I Opening Balances</b>			<b>I Expenses</b>		
(a) Cash in hand	.....	.....	(a) Establishment Expenses (corresponding to Schedule 20)	.....	.....
(b) Bank Balances			(b) Administrative Expenses (corresponding to Schedule 21)	.....	.....
(i) In current accounts	.....	.....			
(ii) In deposit accounts	.....	.....			
(iii) Saving accounts	.....	.....			
<b>II Grants Received</b>			<b>II Payments made against funds for various projects</b>		
(a) From Government of India	.....	.....	(Name of the fund or project should be shown along with the particulars of payments made for each project)		
(b) From State Government	.....	.....			
(c) From other sources (details)	.....	.....			
(Grants for capital & revenue exp. to be shown separately)					
<b>III Income on Investments from</b>			<b>III Investments and deposits made</b>		
(a) Earmarked/Endow. Funds	.....	.....	(a) Out of Earmarked/Endowment Funds	.....	.....
(b) Own Funds (Oth. Investment)			(b) Out of Own Funds (Investments-Others)	.....	.....
<b>IV Interest Received</b>			<b>IV Expenditure on Fixed Assets &amp; Capital Work-in-Progress</b>		
(a) On Bank deposits	.....	.....	(a) Purchase of Fixed Assets	.....	.....
(b) Loans, Advances etc.			(b) Expenditure on Capital Work-in-progress	.....	.....
<b>V Other Income (Specify)</b>			<b>V Refund of surplus money/Loans</b>		
	.....	.....	(a) To the Government of India	.....	.....
			(b) To the State Government	.....	.....
			(c) To other providers of funds	.....	.....
<b>VI Amount Borrowed</b>	.....	.....	<b>VI Finance Charges (Interest)</b>	.....	.....
<b>VII Any other receipts (give details)</b>			<b>VII Other Payments (Specify)</b>	.....	.....
			<b>VIII Closing Balances</b>	.....	.....
			(a) Cash in hand	.....	.....
			(b) Bank Balances	.....	.....
			(i) In current accounts	.....	.....
			(ii) In deposit accounts	.....	.....
			(iii) Savings accounts	.....	.....
<b>TOTAL</b>	.....	.....	<b>TOTAL</b>	.....	.....

**FORM OF FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANISATIONS)**

Name of Entity .....

**SCHEDULES FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE PERIOD ENDED .....****SCHEDULE 24—SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Illustrative)—Contd.**

6.2. In respect of additions to/deductions from fixed assets during the year, depreciation is considered on pro-rata basis.

6.3. Assets costing Rs. 5,000 or less each are fully provided.

**7. MISCELLANEOUS EXPENDITURE**

Deferred revenue expenditure is written off over a period of 5 years from the year it is incurred.

**8. ACCOUNTING FOR SALES**

Sales include excise duty and are net of sales, returns, rebate and trade discount.

**9. GOVERNMENT GRANTS/SUBSIDIES**

9.1. Government grants of the nature of contribution towards capital cost of setting up projects are treated as Capital Reserve.

9.2. Grants in respect of specific fixed assets acquired are shown as a deduction from the cost of the related assets.

9.3. Government grants/subsidy are accounted on realization basis.

**10. FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS**

10.1. Transactions denominated in foreign currency are accounted at the exchange rate prevailing at the date of the transaction.

10.2. Current assets, foreign currency loans and current liabilities are converted at the exchange rate prevailing as at the year end and the resultant gain/loss is adjusted to cost of fixed assets, if the foreign currency liability relates to fixed assets, and in other cases is considered to revenue.

**11. LEASE**

Lease rentals are expensed with reference to lease terms.

**12. RETIREMENT BENEFITS**

12.1. Liability towards gratuity payable on death/retirement of employees is accrued based on actuarial valuation.

12.2. Provision for accumulated leave encashment benefit to the employees is accrued and computed on the assumption that employees are entitled to receive the benefit as at each year end.

**SCHEDULE 25—CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS (Illustrative)****1. CONTINGENT LIABILITIES**

1.1. Claims against the Entity not acknowledged as debts—Rs. .... (Previous years Rs. ....).

1.2. In respect of :

— Bank guarantees given by/on behalf of the Entity—Rs. .... (Previous year Rs. ....)

— Letters of Credit opened by Bank on behalf of the Entity—Rs. .... (Previous year Rs. ....)

— Bills discounted with banks Rs. .... (Previous year Rs. ....)

1.3. Disputed demands in respect of :

Income-tax Rs. .... (Previous year Rs. ....)

Sales-tax Rs. .... (Previous years Rs. ....)

Municipal Taxes ..... (Previous years Rs. ....).

1.4. In respect of claims from parties for non-execution of orders, but contested by the Entity—Rs. .... (Previous year Rs. ....).

**2. CAPITAL COMMITMENTS**

Estimated value of contracts remaining to be executed on capital account and not provided for (net of advances) Rs. .... (Previous year Rs. ....).

disclosed at one place. Accounting Policies refer to the specific accounting principles and the method of applying those principles adopted by the Entity in the preparation of the Financial Statements. Where any of the accounting policies is not in conformity with accounting standards, and the effect of departures from accounting standards is material, the particulars of the departure shall be disclosed, together with the reasons therefor and the financial effect thereof, except where such effect is not ascertainable.

- (3) Accounting policies shall be applied consistently from one financial year to the next. Any change in the accounting policies which has a material effect in the current period or which is reasonably expected to have a material effect in latter periods, shall be disclosed. In case of a change in accounting policies which has a material effect in the current period, the amount by which any item in the Financial Statements is affected by such change, shall also be disclosed to the extent ascertainable. Where such amount is not ascertainable, wholly or in part, the fact shall be disclosed.
- (4) The accounting treatment and presentation in the Balance Sheet and the Income and Expenditure Account, of transactions and events shall be governed by their substance and not merely by the legal form.
- (5) In determining the accounting treatment and manner of disclosure of an item in the Balance Sheet and/or the Income and Expenditure Account, due consideration shall be given to the concept of materiality.
- (6) Provision shall be made for all known liabilities and losses even though the amount cannot be determined with substantial accuracy (and the amount of provision represents only a best estimate in the light of available information). 'Provision' means any amount written off or retained by way of providing for depreciation, renewals or diminution in value of assets, or retained by way of providing for any known liability, the amount of which cannot be determined with substantial accuracy.

Provision shall be made for contingent loss if :

- (a) it is probable that future events will confirm that, after taking into account any related probable recovery, an asset has been impaired or a liability has been incurred at the balance sheet date, and
- (b) a reasonable estimate of the amount of the resulting loss can be made.

If either of the above conditions is not met, the existence of the contingent loss shall be disclosed by way of a note to the Income and Expenditure account, unless the possibility of the loss is remote.

#### FORM B

(See rule 8)

#### INDIAN COUNCIL OF WORLD AFFAIRS

#### ANNUAL REPORT

Annual Report for, the Financial Year .....

1. Introduction.
2. Constitution of Council, including changes therein.
3. Meetings of the Council.
4. Constitution of Committees.
5. Meetings of the Committees.
6. Grant-in-aid.
7. Publications.
8. Library.
9. Seminars/Symposia/Conference.
10. Award.
11. Research and Analysis.
12. Visits of Foreign Dignitaries to the Council.
13. Report on the matters referred to the Council by the Central Government or Governing Body.
14. Council for Security and Co-operation in the Asia-Pacific (CSCAP) India Secretariat and Africa Centre Functioning within the premises of Council.

Sd/-

New Delhi :

Director General

Dated :

Indian Council of World Affairs

**FORM OF FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANISATIONS)**

Name of Entity \_\_\_\_\_

SCHEDULES FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE PERIOD ENDED \_\_\_\_\_

**SCHEDULE 25-CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS (Illustrative)—Contd.**

(Amount-Rs.)

Current Year Previous Year

**3. LEASE OBLIGATIONS**

Future obligations for rentals under finance lease arrangements for plant and machinery amount to Rs. ....  
(Previous year Rs. ....).

**4. CURRENT ASSETS, LOANS AND ADVANCES**

In the opinion of the Management, the current assets, loans and advances have a value on realization in the ordinary course of business, equal at least to the aggregate amount shown in the Balance Sheet.

**5. TAXATION**

In view of there being no taxable income under Income-tax Act, 1961, no provision for Income tax has been considered necessary.

**6. FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS**

6.1. Value of Imports Calculated on C.I.F. Basis :

- Purchase of finished Goods
- Raw Materials & Components (Including in transit)
- Capital Goods
- Stores, Spares and Consumables.

6.2. Expenditure in Foreign Currency :

- (a) Travel
- (b) Remittances and Interest payment to Financial Institutions/Banks in Foreign Currency
- (c) Other Expenditure :
  - Commission on Sales
  - Legal and Professional Expenses
  - Miscellaneous Expenses.

6.3. Earnings :

Value of Exports on FOB basis

6.4. Remuneration to Auditors :

- As Auditors
  - Taxation matters
  - For management services
  - For certification
  - Others

7. Corresponding figures for the previous year have been regrouped/rearranged, wherever necessary.

8. Schedules 1 to 25 are annexed to and form an integral part of the Balance Sheet as at \_\_\_\_\_ and the Income and Expenditure Account for the year ended on that date.

**NOTES AND INSTRUCTIONS FOR COMPILATION OF FINANCIAL STATEMENTS OF NON-PROFIT ORGANISATIONS AND OTHER SIMILAR INSTITUTIONS****INSTRUCTIONS AND ACCOUNTING PRINCIPLES**

- (1) The financial statements of non-profit and other similar organisations (viz., Balance Sheet and Income and Expenditure Account) shall be prepared on accrual basis; and shall be in the form suggested, or as near thereto as possible. If the information required to be given under any of the items or sub-items in this Form cannot be conveniently included in the Balance Sheet or the Income and Expenditure Account itself, as the case may be, it can be furnished in a separate Schedule or Schedules to be annexed to and forming part of the Balance Sheet or the Income and Expenditure Account. This is recommended where items are numerous.
- (2) A statement of all significant accounting policies adopted in the preparation of the Balance Sheet and the Income and Expenditure Account shall be included in the financial statements, and the significant Accounting Policies should be